137/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शुरू करने तथा कृषि विकास कार्य करने की छूट प्रदान करते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 29.06.2021 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखे जाने का आदेश फरमावें।

अपीलांट्स के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2073–2077 ग्राम पूनासर तहसील बापिणी के मुताबिक **खसरा नं. 891 रकबा 0.1295 गे.मु ढाणी अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्या एक की सयुंक्त खातेदारी की भूमि है।** अपीलांट्स विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार है तथा वे अपने 1/2 हक हिस्से की अपने कब्जे वाली भूमि पर जर्जर आवास की जगह पुनः निर्माण करवाने का प्रथमदृष्टया कानून हकदार है। चूंकि भूमि खसरा नं. 891की किस्म गे.मु. ढाणी ही है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः **वादग्रस्त भूमि में सें खसरा नं. 891 रकबा 0.1295 हैक्टेयर गैर मुमकिन ढाणी बाबत अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.09.2021 तक स्थगित किया जाता है।** तहरीर जारी हो।

आदेश 39 की पालना में रेस्पोडेंट्स के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भिजवाने हेतु अपीलांट्स के अधिवक्ता को दस्ती जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावल तलब कर पत्रावली दिनांक 01.09.2021 को पेश हो।

(नोटिस अपीलांट अधि.)

(रवा। 1559-6 5/8/2)

(पोस्टल ...)

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1/9/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं 1 की ओर से श्री हर्ष जोशी अधिवक्ता का प्रस्तुत वकालतनामा पत्रावली में संलग्न किया गया। अधिवक्ता रेस्पो० ने मा. राजस्व मण्डल के परिपत्र क्र० 6739 दि० 6/8/2021 की फोटो प्रति पेश की जिसे पत्रावली पर रखा गया।

(Harsh send 01/09/21)

उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से बिना रिकॉर्ड तलब किये बहस सुनी गई। अपील अधी० न्यायालय के अंतरिम आदेश दि. 29/6/2021 के विरुद्ध पेश हुई है।

अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपील स्वीकार कर ता दावा अपीलाधीन आदेश निरस्त रखा जावे। वकील रेस्पोडेंट ने इसका विरोध किया और अपनी बहस में

(हस्ताक्षर) P.T.O
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/9/2021	दौरान बताया कि न्यायालय हाजा ने अपीलांट को एकपक्षीय पुनका दि. 5/8/2021 को अंतरिम निषेधाज्ञा वाली अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में अपीलांट को वादग्रस्त भूमि के ख.नं. 891 रकबा .1295 हेक्टेयर औ.मु. ढाणी में स्थगित किया जाकर अवाप्त निर्माण की जो अनुमति दी है वह आदेश उचित ही है परन्तु शेष वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपील में चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने से उसका हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 विचाराधीन है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के संबंध में भी अपीलार्थी गण का पक्ष सुना जाकर कोई विधिवत इस लिए आदेश होना शेष है। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा का एकपक्षीय अंतरिम आदेश दि. 5-8-2021 को भी देखा गया जिसके अंतर्गत अपीलाधीन आदेश अंतरिम रूप से स्थगित किया जो केवल औ.मु. ढाणी वाले खसरे के संबंध में है। इस आदेश को रेस्पोंडेंट पक्ष भी उचित बताते हैं। अधी. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश भी अंतरिम है इसलिए मामले में उभय पक्ष को सुनकर गुणावगुण पर अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निस्तारण करने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये जाते हैं। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में 15/9/2021 को पेश होकर अपना-अपना पक्ष रखें तब तक न्यायालय हाजा के अंतरिम आदेश दि. 5-8-2021 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली दाखिल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।	